राजस्थान

क्रमांक :—पीए/आई.जी.पी/अपराध शाखा/19/497 दिनांक :— 23-11-19

परिपत्र

यह संज्ञान में आया है कि राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से समय पर निष्कर्षों व प्रादर्शों को प्राप्त नही किया जाता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से समय पर निष्कर्षों को प्राप्त नही करने के कारण पुलिस का अनुसंधान एवं न्यायालय का निर्णय विलम्बित होता है। इस संबंध में इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक स–9( )अप/अन्वे/अजमेर रेंज/19/18798–843 दिनांक 01.10.2019 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। इन निर्देशों की निरंतरता में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :—

1. विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्रादर्श भिजवाने, विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट/प्रादर्श प्राप्त करने तथा एफएसएल रिपोर्ट को न्यायालय/अनुसंधान अधिकारी की पत्रावली में शामिल करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया के **प्रभारी** प्रत्येक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत **अपराध सहायक** होंगे।
2. विधि विज्ञान प्रयोगशाला, वर्तमान में प्रचलित तरीकों के अलावा **ई–मेल** के माध्यम से भी प्रादर्शों की रिपोर्ट तैयार होने के संबंध में सूचना पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगी।
3. ई–मेल द्वारा एफएसएल रिपोर्ट तैयार होने की सूचना प्राप्त होने पर अपराध सहायक उस रिपोर्ट/प्रादर्श को प्राप्त कर, न्यायालय/अनुसंधान अधिकारी को शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्यवाही की मॉनिटिरिंग संलग्न प्रारूप में कर, सूचना संधारित की जावेगी।
4. **प्रत्येक सोमवार** को पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक स्वयं विधि विज्ञान प्रयोगशाला में तैयार पैण्डिग रिपोर्ट/प्रादर्श तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्टो को न्यायालयों/अनुसंधान अधिकारियों को दिये जाने संबंधित कार्यवाही का **सुपरविजन** करेंगे।
5. विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 10 दिनों से ज्यादा समय के **लम्बित, तैयार रिपोर्ट व प्रादर्शों की सूचना** विधि विज्ञान प्रयोगशाला **जरिये ई–मेल** पुलिस आयुक्तों/रेंज महानिरीक्षकों/रेंज उप महानिरीक्षकों/पुलिस अधीक्षक (पीआरसी) अपराध शाखा, राज0, जयपुर को प्रेषित करेंगी। पुलिस आयुक्त व रेंज महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक इस बारें में अद्यतन रहकर दिशा–निर्देश देंगे।
6. अनावश्यक रूप से तैयार रिपोर्टो व प्रादर्शों के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/थानों में लम्बित रहने पर पुलिस अधीक्षकगण/पुलिस उपायुक्तगण संबंधित पुलिस कार्मिकों की **जिम्मेदारी तय कर** आवश्यक कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करें।

यह आदेश श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान से अनुमोदित है।

22/11/19

(भगवान लाल सोनी)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :—

1. अति. महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स, राजस्थान को सूचनार्थ।
2. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त रेंज महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस मय पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर को पालनार्थ
4. समस्त पुलिस अधीक्षकगण/पुलिस उपायुक्तगण मय जीआरपी को पालनार्थ।

22/11/19

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
अपराध शाखा राजस्थान जयपुर